न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 235/2019 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1—गोपाल उर्फ नानालाल पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया तहसील मांडल
2—भैरूलाल उर्फ नंदकिशोर पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त0 माण्डल
3—रामकन्या पत्नि बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया के बजाय —
3/1—श्रीमती शांता पत्नि कन्हैयालाल बाहेती पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी कालियास त0आसीन्द
3/2—श्रीमती सुशीला देवी पत्नि बद्री नुवाल पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर
3/3—श्रीमती गीता पत्नि रामस्वरूप राठी पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी भीलवाड़ा त0भीलवाड़ा
3/4—श्रीमती कान्तादेवी पत्नि गोपाल काबरा पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर त0रायपुर
————वादीगण

बनाम

1—जगदीशचन्द्र पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील मांडल
2—सुवालाल पिता रामनारायण कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 माण्डल के बजाय—
2/1—बालकिशन पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/2—सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/3—राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/4—जगदीश पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/5—श्रीमती पुष्पा पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि मूलचन्द जागेटिया निवासी गोरख्या त0 करेड़ा
2/6—श्रीमती रूकमण पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि लक्ष्मीलाल समदानी निवासी नाहरी त0 रायपुर
3—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
———प्रतिवादीगण

(वाद बाबत— घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती)

प्रार्थना पत्रः— अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01

————0————

उपस्थितः— वकील प्रार्थी/प्रतिवादी— श्री मो0 वासिफ
वकील अप्रार्थीगण/वादीगण—श्री एस0के0पालीवाल

———

आदेश

दिनांक 17.06.2022

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 रा0का0अ0के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारिया में खाता संख्या 284 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 37 में कुल कीता 7 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि जगदीश पिता मु0 मदनलाल महाजन सा0देह दर्ज थी। इसी प्रकार ग्राम लुहारिया के

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

खाता संख्या 484 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 में कुल कीता 8 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि जगदीश मु0 मदनलाल महाजन सा0देह खातेदारी से दर्ज थी। प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी जगदीश चन्द्र को मदनलाल ने कभी गोद नहीं लिया जबकि वादवर्णित आराजीयात गोद पुत्र की हैंसियत से राजस्व रेकार्ड में जगदीशचन्द्र पि0 मुत0 मदनलाल दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार वादी गोद के बिन्दु पर खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद लाया है। गोद के बिन्दु को निर्धारण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण खारीज फरमाया जावे। वकील वादी/अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रार्थना पत्र की बहस में वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रामनारायण जी के तीन लड़के बंशीलाल, सुवालाल व मदनलाल हुए। इनमें से मदनलाल अविवाहित था। मदनलाल ने अपने जीवनकाल में ही सुवालाल के पुत्र जगदीशचन्द्र को अपने दोनों भाई बंशीलाल व सुवालाल की सहमति से विधिवत गोद लिया। उक्त गोद का अंकन वक्त सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष तीनों भाईयों ने उपस्थित होकर अपनी सहमति से जगदीशचन्द्र को मदनलाल के गोद देना स्वीकार किया जिसका अंकन भू प्रबन्ध विभाग के फर्द खसरा पर होकर सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.1970 को प्रतिवादी जगदीश मुतबन्ना मदनलाल महाजन के नाम वाद वर्णित आराजीयात को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने का आदेश दिया। वाद वर्णित आराजीयात कभी भी किसी राजस्व रिकॉर्ड में बंशीलाल, सुवालाल व मदनलाल के नाम पर संयुक्त रूप से कभी दर्ज नहीं रही है जिससे वादी किसी भी हैंसियत से वादवर्णित आराजीयात पर खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं है। वादी ने यह वाद प्रतिवादी जगदीश चन्द्र को मदनलाल द्वारा गोद नहीं लिए जाने से वाद वर्णित आराजीयात में हम वादीगण को खातेदार घोषित कर इन्द्राज दुरूस्त किए जाने का पेश किया जो कि इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है। किसी व्यक्ति के गोदपुत्र की घोषणा दीवानी न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस स्तर पर खारिज फरमाया जावे। बहस में वकील अप्रार्थी/वादी ने निवेदन किया कि आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.11.2002 को खारिज किया गया जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी । बहस में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रामनारायण जी के तीन लड़के बंशीलाल, सुवालाल व मदनलाल हुए। इनमें से मदनलाल अविवाहित था। मदनलाल ने अपने जीवनकाल में ही सुवालाल के पुत्र जगदीशचन्द्र को अपने दोनों भाई बंशीलाल व सुवालाल की सहमति से विधिवत गोद लिया। उक्त गोद का अंकन वक्त सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष तीनों भाईयों ने उपस्थित होकर अपनी सहमति से जगदीशचन्द्र को मदनलाल के गोद देना स्वीकार किया जिसका अंकन भू प्रबन्ध विभाग के फर्द खसरा पर होकर सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.1970 को प्रतिवादी जगदीश मुतबन्ना मदनलाल महाजन के नाम वाद वर्णित आराजीयात को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने का आदेश दिया। प्रतिवादी/प्रार्थी के द्वारा पूर्व में दिनांक 15.05.2000 में आदेश 07

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे इसी न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.11.2002 में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। बल्कि यह अंकित किया है कि उक्त एतराज जवाब में उठाए जा सकते हैं जो कि वक्त निर्णय विवेचना की जाएगी। जैसाकि भू प्रबन्ध विभाग के फर्द खसरा पर सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.1970 को प्रतिवादी जगदीश मुतबन्ना मदनलाल महाजन को गोदपुत्र होने का आदेश वादी के पिता बंशीलाल, प्रतिवादी के पिता सुवालाल व स्वयं मदनलाल तीनों की सहमति के पश्चात पारित किया है इससे प्रतिवादी जगदीशचन्द्र का मदनलाल का गोदपुत्र होना सिद्ध होता है। तो फिर वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे वादकारण दिनांक 22.03.99 को उत्पन्न होना अंकित किया है वह गलत अंकित किया है क्योंकि वाद कारण तो प्रतिवादी जगदीशचन्द्र को गोदपुत्र के आदेश दिनांक 29.05.1970 से ही उत्पन्न हो चुका था। जैसाकि वाद पत्र में जो नकल जमाबन्दियां सम्वत् 2034 से लगायत 2053 प्रस्तुत की है उन सभी में जगदीशचन्द्र पि0 मु0 मदनलाल दर्ज है। ऐसी स्थिति में यदि अब वादी अपने वाद में यह बिन्दु उठाता है कि प्रतिवादी जगदीशचन्द्र को मदनलाल ने कभी गोद ही नहीं रखा तो इस बिन्दु का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। वादी ने अपने वाद में यह भी अंकित किया है कि हमारे पिता का देहावसान सन् 1985 में हुआ तथा सुवालाल का देहावसान भी सन् 1985 में होना बताता है ऐसी स्थिति में वर्ष 1970 से 15 वर्ष की अवधि में इनके द्वारा गोद के तथ्य को किसी न्यायालय में उजर क्यों नहीं किया । इसके बाद अब वादी 33 वर्ष बाद प्रतिवादी जगदीशचन्द्र को मदनलाल ने कभी गोद नहीं रखने को इस न्यायालय में चेलेन्ज किया जो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है फिर भी किसी के गोदपुत्र होने का निर्धारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार यह वाद मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की मंशा से तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रतिवादी/प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव :–

आदेश

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा ,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

(आदेश 20 नियम 6 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास डॉ0 पूजा सक्सेना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 235/2019 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1–गोपाल उर्फ नानालाल पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया तहसील मांडल
2–भैरूलाल उर्फ नंदकिशोर पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त0 माण्डल
3–रामकन्या पत्नि बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया के बजाय –
3/1–श्रीमती शांता पत्नि कन्हैयालाल बाहेती पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी कालियास त0आसीन्द
3/2–श्रीमती सुशीला देवी पत्नि बद्री नुवाल पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर
3/3–श्रीमती गीता पत्नि रामस्वरूप राठी पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी भीलवाड़ा त0भीलवाड़ा
3/4–श्रीमती कान्तादेवी पत्नि गोपाल काबरा पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर त0रायपुर

–––––वादीगण

बनाम

1–जगदीशचन्द्र पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील मांडल
2–सुवालाल पिता रामनारायण कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 माण्डल के बजाय–
2/1–बालकिशन पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/2–सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/3–राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/4–जगदीश पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2/5–श्रीमती पुष्पा पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि मूलचन्द जागेटिया निवासी गोरख्या त0 करेड़ा
2/6–श्रीमती रूकमण पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि लक्ष्मीलाल समदानी निवासी नाहरी त0 रायपुर
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

–––प्रतिवादीगण

(वाद बाबत– घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती)

प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01

–––0–––

निर्णय दिनांक 17 .06.2022

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण श्री मोहम्मद वासिफ व वादीगण/अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री एस0के0 पालीवाल उपस्थित। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारीज किया जाता है।
डिक्री आज दिनांक 1 .06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा